**अध्याय-11**

**भारतीय राज्य का बदलता स्वरुप: विकासात्मक, लोक कल्याणकारी और अवपीड़क प्रावधान**

**(The Changing Nature of the Indian State: Developmental, Welfare and Coercive Dimensions)**

**डा0सुजीत कुमार श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफ़ेसर- राजनीतिशास्त्र,**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

भारतीय राज्य के जटिल स्वरुप का सम्यक और परिपूर्ण अध्ययन हेतु विस्तृत एवं सार्वकालिक दृष्टि अपनाना समीचीन है| स्वातंत्र्योत्तर भारत के साथ-साथ प्राचीन, मध्यकालिक और औपनिवेशिक भारत में राज्य से जुड़े सूत्रों और व्याख्यानों की पृष्ठभूमि में ही भारतीय राज्य के बदलते स्वरुप का अध्ययन पूर्ण माना जा सकता है|

भारत में राज्य के संबंध में उल्लेख वैदिक काल से प्राप्त होने लगते हैं| यह तथ्य स्मरणीय है कि भारत और पश्चिमी राजतन्त्र की प्रकृति में मूलभूत अंतर रहा है| एक तरफ जहां पश्चिमी राजतन्त्र निष्ठुर और तानाशाह प्रकृति का रहा है वहीँ प्राचीन भारतीय राजतन्त्र जनोन्मुखी और कल्याणकारी रहा है। ऋग्वेदिक् काल में राजा के ऊपर विश अर्थात जनता का अंकुश रहता था| यद्दपि भारतीय राजतन्त्र भी आनुवंशिक रहा है किन्तु वंशानुगत राज्याधिकार तभी वैध मन जाता था जब जनता उसका अनुमोदन कर दे| आवश्यकता पड़ने पर जनता राजा को उसके पद से हटा सकता है अथवा उसे निर्वासित कर सकती थी| राजा बनते समय राज्याभिषेक की प्रथा थी और इस अवसर पर सार्वजनिक रूप से राजा को शपथ लेनी पड़ती थी कि वह जनता की रक्षा करेगा और प्रजा का अपनी संतानो की तरह ख्याल रखेगा| सदियों तक भारत में राजा के पित्रवत शासन का वर्णन मिलता है| आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ अर्थशास्त्र में राजकर्तव्य को श्लोक रूप में व्यक्त किया है—

प्रजां सुखे सुखं राज्ञः प्रजानां हिते हितं|

नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम||

(अर्थशास्त्र, अधिकरण, अध्याय 18)

अर्थात, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है, प्रजा के हित में ही उसे अपना हित दिखना चाहिए| जो स्वयं को प्रिय लगे उसमे राजा का हित नहीं है, उसका हित तो प्रजा को जो लगे उसमें है|

प्रजा के संरक्षक की भूमिका में होने के कारण ही राजा का स्थान सर्वोपरि और अत्यंत सम्मानित था| राजा के पास ही कानून बनाने, कानून लागू करने और न्याय करने की शक्ति थी| यहाँ तक कि राजा को ही राज्य समझा जाता था|

**राज्य प्रकृति**

भारत में आरंभ से ही गांव शासन की आधारभूत और आत्म निर्भर इकाइयां थी| गांव का मुखिया सरपंच कहलाता था जो गांव के विवादों को भी सुलझाता था| किन्तु राजनीतिक एकता, एकक्षत्र राज्य या साम्राज्य की स्थापना की धारणाएं ऋग्वैदिक काल में ही उन्मुख होने लगी थी| इस काल के राजा सुदास का उदाहरण इस क्रम में लिया जा सकता है| राजा सुदास ने आस पास के राजाओं को पराजित करके अपना राज्य विस्तार किया था| राजकीय कार्यों में राजा की सहायता करने के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे| इनमें सेनापति और पुरोहित का पद विशेष उल्लेखनीय है| प्रथम के कार्य सैन्य और द्वीतीय के कार्य धार्मिक व् राजनीतिक था| पुरोहित राजा को राजनीतिक और कुटनीतिक मामलों में परामर्श देता था| समय-समय पर वह राजकीय व सार्वजनिक कल्याण के लिए यज्ञ का आयोजन भी करता था| यही नहीं वह के साथ युद्धभूमि में भी जाता था और एक तरफ तो वह सैनिकों का उत्साहवर्धन करता था तो दूसरी तरफ राजा की विजय कामना करते हुए दैवीय शक्तियों का आह्वान करता था| ऋग्वैदिक राजकीय पुरोहित पद से ही कालान्तर में मंत्री पद की उत्पत्ति हुई|

उत्तर वैदिक काल में राजतन्त्र के साथ-साथ गद्तान्त्रो का भी उल्लेख मिलता है| राज्य का स्वरुप पहले से ज्यादा संगठित हुआ| राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत उत्तरोत्तर दृढ हो रहा था| सर्वप्रथम इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है| ऋग्वेद में राजा पुरु एक स्थान पर घोषणा करते हैं की ‘‘मै इंद्र हूँ मै वरुण हूँ’’| इसी प्रकार अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मनुष्यों में देव कहा गया है| ब्राम्हण काल में यज्ञों की महत्ता बढ़ी और यह खा जाने लगा की अश्वमेध और बाजपेय यज्ञों के करने से राजा देवसम हो जाता है|

इन सभी स्थापनाओं के बावजूद भारतीय व्यवस्थाकारों और सिद्धान्तकारों ने कभी भी राजा की निरंकुशता को प्रोत्साहन नहीं दिया| समस्त ग्रंथो में आतताई, अधार्मिक और निरंकुश राजा की घोर निंदा की गई है| अथर्ववेद (5.19.15.) में कहा गया है कि अधार्मिक राजा के राज्य में वर्षा नहीं होती है तथा उसकी समिति या मित्रों का सहयोग प्राप्त नहीं होता| वैदिक काल में राजा का निर्वाचन भी होता था| अथर्ववेद में इसका वर्णन है| विश या जनता राजा का निर्वाचन करते हुए कहती है कि इस योग्य पुरुष का चयन करने से हमारी विजय होगी, हमारा यज्ञ सफल होगा, हमारी संतति उन्नत होगी, हमारे पशु ठीक होंगे और हमारे पास शूरवीर पुरुष रहेंगे| अत: इस योग्य पुरुष को चुनते हैं|

डा0 अल्तेकर ने वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और उपनिषद् काल में सभा और समिति का वर्णन किया है| ग्राम स्तर से लेकर साम्राज्य स्तर तक इनका गठन था| ग्राम की सभा अपने कार्य संचालन के लिए राज कर का कुछ भाग पाती थी| सभा के पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था| राज्याभिषेक के पश्चात राजा रत्नियों के घर जाता था | इस प्रथा से स्पष्ट होता है कि रत्नियों का अनुमोदन और सहयोग प्राप्त करना राजा के लिए आवश्यक होता था| शतपथ ब्राम्हण ग्रथ में इन रत्नियों की संख्या 11 दी गई है- सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत (राजा का सारथी), ग्रामिणी (ग्राम का मुखिया), क्षत्ता (प्रतिहारी), संग्रहीता (कोषाध्यक्ष), भागदुध (कर संग्रहकर्ता), अक्षवाप (पासे के खेल में राजा का सहयोगी) और पालागल (राजा का मित्र और विदूषक)| इन रत्नियों का राज्य संचालन में बहुत महत्व था| इनके सहयोग के बिना राज्य कार्य चलाना कठिन था|

प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक एवं ग्रंथकार पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी (7वीं सदी) में उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन किया है| अष्टाध्यायी में मध्य एशिया से लेकर कलिंग तक एवं सौवीर (आज का सिंध) से लेकर पूर्व में असम प्रदेश में सूरसम (वर्तमान सूरमा नदी) प्रदेश तक के स्थानों और परिस्थितियों का उल्लेख है| तत्कालीन जनपदों में पाणिनि ने कम्बोज (आधुनिक पामीर और बदख्शां का सम्मिलित प्रदेश) गंधार, सिन्धु, सौवीर, ब्राम्हणक (सिंध प्रान्त का मध्य प्रदेश) कच्छ, केकय, गुजरात, मद्र (स्यालकोट का प्रदेश), त्रिगत (रावी, सतलज और व्यास नदियों के मध्य का क्षेत्र), कुरु, कोसल, काशी, मगध, अवंती, कलिंग, अश्मक (गोदावरी का क्षेत्र) आदि क्षेत्रों तथा सुवास्तु (स्वात), सिन्धु, विपाश (व्यास), अजिरवती (राप्ती), चर्मण्वती (चम्बल) आदि नदियों का उल्लेख किया है|

पाणिनि काल में राजतन्त्र और गणतंत्र दोनों शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थीं| राजा या भूपति की सहायता देने के लिए मंत्रियों की एक समिति होती थी जो समय समय पर राजा को परामर्श देती थी, इसे मंत्रिपरिषद कहते थे| मंत्रिपरिषद का प्रमुख आर्य ब्राम्हण कहलाता था| इस मंत्रिपरिषद के अलावा एक राज सभा भी होती थी जिसमें सभ्यों (सदस्यों) की संख्या अधिक होती थी| प्रशासनिक कार्यों के लिए राज्य में अनेक विभाग होते थे|

पाणिनि काल में प्रचलित गणतंत्रात्मक राज्यों का शासन संघो के द्वारा होता था| संघ में प्राय: अनेक दल सम्मिलित रहते थे| पाणिनि ने वासुदेव वर्गा का उल्लेख किया है| यह उन लोगों का वर्ग था जो वासुदेव को अपना नेता मानता था| पुन: प्रत्येक दल में अनेक कुल होते थे| उदाहरण लिच्छवियों के 7707 कुल थे| प्रचलित परम्परा के अनुसार प्रत्येक कुल का प्रतिनिधि राजा की उपाधि धारण करता था| इस प्रकार जहाँ राजतन्त्र में एक राजा होता था वहीँ गणतंत्र में बहुत से राजा होते थे| इन राजाओं की सभा संघ सभा कहलाती थी| प्रशासनिक कार्यों के संपादन के लिए एक छोटी समिति होती थी जिसे संघ परिषद कहते थे| संघ का प्रधान संघ मुख्य कहलाता था| यह वैधानिक नेता होता था और इसके कार्य संघ सम्मत होते थे| प्रत्येक संघ की पहचान और अंक होते थे| उदाहरण यौधेयों की मुद्राओं पर अंकित अंकित कुमार का चित्र संघ की पहचान थी| अंक संघ का नाम अथवा परम्परा वाक्य था| उदाहरण यौधेयों की मुद्राओं पर अंकित वाक्य था – “यौधेय गणस्य जय:”| पाणिनि काल में वृजि, अन्धकवृष्णि, भर्ग, आश्वायन, आश्वकायन, हस्तिनायन, वसाती आदि प्रमुख संघ थे| कुछ संघ आयुधजीवी थे| कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन्हें शस्त्रोपजीवी संघ भी कहा गया है| ये संघ उन लोगों या जातियों के थे, जो आयुध या शस्त्रों से अपनी जीविका चलाते थे| उदाहरण के लिए यौधेय संघ, मालव संघ और क्षुद्रक संघ आयुधजीवी संघ थे| इसी प्रकार त्रिगर्त के 6 संघ आयुधजीवी थे|

**भारत में सवैधानिक सरकार की उत्पत्ति**

आधुनिक भारत का संवैधानिक विकास ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से में पश्चिमी राजनीतिक प्रणाली एवं मूल्यों के आधार पर हुआ जिसकी अधिकांश व्यवस्थाओं को वर्तमान भारतीय संविधान में यथावत अपना लिया गया| भारत में संवैधानिक विधियों का पहला स्वरुप रेग्युलेटिंग एक्ट (1773) था जिसमे बंगाल का शासन गवर्नर जनरल तथा चार सदस्यीय परिषद् में निहित किया गया। इस परिषद में निर्णय बहुमत द्वारा लिए जाने की भी व्यवस्था की गयी। इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैवरिंग, मॉनसन, बरवैल तथा फिलिप फ्रांसिस को परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। मद्रास तथा बम्बई प्रेसीडेंसियों को बंगाल प्रेसीडेन्सी के अधीन कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसीडेन्सियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है और वे लोग सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे|

अधिनियम द्वारा बंगाल ([कलकत्ता](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A4%BE)) में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गयी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे को [उच्चतम न्यायालय](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%89%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%A4%E0%A4%AE_%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF) (सुप्रीम कोर्ट) का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इस न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, जल सेना तथा धार्मिक मामलों में व्यापक अधिकार दिया गया। न्यायालय को यह भी अधिकार था कि वह कम्पनी तथा सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले की सुनवाई कर सकता था। इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध स्थित [प्रिवी कौंसिल](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A5%80_%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%B2) में अपील की जा सकती थी। इसके उपरांत 1781 का संशोधित अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, 1786 का अधिनियम, 1793 का राजपत्र और 1813 का राजपत्र द्वारा अनेक व्यवस्थाएं की गई| 1833 का राजपत्र के बाद भारत में कम्पनी के साम्राज्य में काफी वृद्धि हुई|

[महाराष्ट्र](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0), [मध्य भारत](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF_%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4_(%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%B5_%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF)), [पंजाब](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%AC_%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A5%87%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0), [सिन्ध](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%A7), [ग्वालियर](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%B0), [इंदौर](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%8C%E0%A4%B0) आदि पर अंग्रेजों का [प्रभुत्व](https://hi.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AD%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B5&action=edit&redlink=1) स्थापित हो गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को सम्पूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। सम्पूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल [लॉर्ड विलियम बैंटिक](https://hi.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B2%E0%A5%89%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A1_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE_%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%95&action=edit&redlink=1) बना। विधि के संहिताकरण के लिए आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। भारत में दास-प्रथा को गैर-कानूनी घोषित किया गया। फलस्वरूप 1843 में भारत में दास-प्रथा की समाप्ति की घोषणा हुई। इस अधिनियम द्वारा भारत में केन्द्रीकरण का प्रारंभ किया गया, जिसका सबसे प्रबल प्रमाण विधियों को संहिताबद्ध करने के लिए एक आयोग का गठन था। इस आयोग का प्रथम अध्यक्ष [लॉर्ड मैकाले](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A5%E0%A5%8B%E0%A4%AE%E0%A4%B8_%E0%A4%AC%E0%A5%88%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A4%9F%E0%A4%A8_%E0%A4%AE%E0%A5%88%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%87) नियुक्त किया गया। 1857 के गदर ने शासन की असंतोषजनक नीतियां उजागर कर दी थी, जिससे संसद को कम्पनी को पदच्युत करने का बहाना मिल गया। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश संसद ने 1858 का अधिनियम पारित किया जो भारतीय प्रशासन का आधार बना। भारत में कम्पनी के शासन को समाप्त कर शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्ञी की ओर से राज्य सचिव को चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। अब भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों एवं कार्यवाहियों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गयी। भारत के गवर्नर जनरल का नाम ‘वायसराय’ (क्राउन का प्रतिनिधि) कर दिया गया तथा उसे भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया।

भारत का प्रथम वायसराय [लॉर्ड कैनिंग](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B2%E0%A5%89%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A1_%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%97) बने । 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटना है। यह दो मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नामजद करके उन्हें विधायी कार्य से संबद्ध करने का अधिकार दिया। दूसरा यह कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों का विकेन्द्रीकरण कर दिया अर्थात बम्बई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान की गयी। 1873 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कम्पनी को किसी भी समय भंग करने का प्रावधान किया गया। इसी के अनुसरण में 1 जनवरी, 1874 को ईस्ट इंडिया कम्पनी को भंग कर दिया गया।

सर जॉर्ज चिजनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसके सुझावों का समावेश 1892 के अधिनियम में किया गया। इस अधिनियम के द्वारा केन्द्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद् में ‘अतिरिक्त सदस्यों’ की संख्या बढ़ा दी गयी और उनके निर्वाचन का भी विशेष उल्लेख किया गया। यद्यपि इसके द्वारा सीमित चुनाव की ही व्यवस्था हुई, लेकिन भारत के मुख्य सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। परिषद के अधिकारों में भी वृद्धि की गयी। वार्षिक आय या बजट का ब्योरा परिषद में प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। सदस्यों को कार्यपालिका के काम के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया।

उधर राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिन्टो दोनों मानते थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सर अरुण्डेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ई. में नया अधिनियम पारित किया गया जिसे भारतीय परिषद् अधिनियम 1909 और ‘मार्ले-मिन्टो सुधार’ के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के द्वारा केन्द्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गयी। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर-सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में रियायत दी गयी। उन्हें केन्द्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गयी। प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में सत्येन्द्र सिन्हा की नियुक्ति हुई।

20 अगस्त, 1917 को तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, मॉटेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमंस में एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया, जिसमें ब्रिटेन के इरादे का बयान किया गया| उन्होंने कहा कि शासन की सभी शाखाओं में भारतीयों को शामिल करना और स्वायत्तशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास, जिससे ब्रिटिश भारत के अभिन्न अंग के रूप में उत्तरदायी सरकार की उत्तरोत्तर उपलब्धि हो सके। इसी घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए ‘मोंटफोर्ड रिपोर्ट-1918’ प्रकाशित की गयी, जो 1919 के अधिनियम का आधार बना। इस अधिनिअम द्वारा केन्द्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद (उच्च सदन) तथा विधान सभा (निम्न सदन) वाले द्विसदनीय विधान मंडल ने ले लिया। आठ प्रमुख प्रांतों में जिन्हें 'गवर्नर का प्रांत' कहा जाता था, "द्वैध शासन" की एक नयी पद्धति शुरू की गयी। प्रांतीय सूची के विषयों को दो भागों में बांटा गया- सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। अधिनियम के प्रारंभ के दस वर्ष बाद द्वैध शासन प्रणाली तथा संवैधानिक सुधारों के व्यावहारिक रूप की जांच के लिए और उत्तरदायी सरकार की प्रगति से संबंधित मामलों पर सिफारिश करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा एक आयोग ने गठन की व्यवस्था की गयी। इसी प्रावधान के अनुसार 1927 में साईमन आयोग का गठन किया गया। 1919 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था| अतः भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया। आयोग की रिपोर्ट जून 1930 में प्रकाशित हुई। साइमन कमीशन द्वारा डोमिनियन दर्जे की मांग को ठुकरा दिये जाने के बाद कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में ‘[पूर्ण स्वराज्य’](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A5%82%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A3_%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C) का प्रस्ताव पारित किया गया।

कांग्रेस पार्टी ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, लॉर्ड वर्कनहेड की इस चुनौती को स्वीकार किया कि एक ऐसे संविधान की रचना की जाये, जो भारत के हर दल को स्वीकार हो। इसके लिए 28 फरवरी, 1928 ई. को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। संविधान का प्रारूप बनाने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नौ सदस्यों की एक समिति बनायी गयी। इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार की गयी, लेकिन दिसम्बर 1928 में कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में इस पर गंभीर आपत्ति उठायी गयी। नेहरू रिपार्ट के ‘साम्प्रदायिक समझौता’ में सभी समुदायों के संयुक्त निर्वाचक समूह का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव पर सबसे बड़ी आपत्ति [मुहम्मद अली जिन्ना](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%A6_%E0%A4%85%E0%A4%B2%E0%A5%80_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B9) ने की। [साइमन आयोग](https://hi.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%AE%E0%A4%A8_%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97&action=edit&redlink=1) की रिपोर्ट के प्रकाशित होने के पहले ही लॉर्ड इर्विन ने घोषणा की थी कि रिपोर्ट को [गोलमेज सम्मेलन](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%B2%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%9C_%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A4%A8_(%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4)) में विचार के लिए रखा जायेगा। पहला सम्मेलन 12 नवम्बर, 1930 को हुआ। यह सम्मेलन किसी निश्चित सहमति पर नहीं पहुंच सका। पहले सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। फरवरी 1931 के ‘गांधी-इर्विन समझौते’ के फलस्वरूप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधीजी ने सम्मेलन में भाग लिया।

श्रीमती [सरोजिनी नायडू](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A5%80_%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A1%E0%A5%82) और पंडित [मदन मोहन मालवीय](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%A8_%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%AF) ने ब्रिटिश सरकार के मनोनीत सदस्य के रूप में भाग लिया। दूसरे समुदायों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन के बाद ही ‘साम्प्रदायिक अधिनिर्णय’ (communal award) और [पूना समझौता](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A5%81%E0%A4%A3%E0%A5%87_%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%9D%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A4%BE) का आविर्भाव हुआ, जिनके द्वारा धार्मिक समूहों और हिन्दुओं के विभिन्न वर्ण समूहों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया। कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय समूहों ने इन प्रावधानों का जमकर विरोध किया। तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन नवम्बर 1932 ई. में हुआ। एक श्वेतपत्र जारी किया गया, जिस पर ब्रिटेन की संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने विचार किया। इसके सुझावों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया।

इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, किन्तु देशी रियासतों का शामिल होना नरेशों की इच्छा पर निर्भर था। संघ तथा केन्द्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। विभिन्न विषयों की तीन सूचियां बनायी गयी- संघीय सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची। 1919 के अधिनियम द्वारा जो द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था, उसे केन्द्र में लागू किया गया। केन्द्रीय सरकार के विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया- संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में था, जबकि हस्तांतरित विषयों का शासन मंत्रिपरिषद को सौंपा गया। केन्द्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गयी- राज्य परिषद (उच्च सदन) तथा केन्द्रीय विधान सभा (निम्न सदन)। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम के अधीन बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा तथा सिन्ध नाम से दो नये प्रांत बना दिये गये। एक संघीय बैंक और एक संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान किया गया।

[माउन्टबेटेन योजना](https://hi.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%AC%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A5%87%E0%A4%A8_%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE&action=edit&redlink=1) के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तैयार किया गया इसके द्वारा भारत तथा पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त, 1947 की तारीख निश्चित की गयी। इसमें भारत का क्षेत्रीय विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में करने तथा बंगाल एवं पंजाब में दो-दो प्रांत बनाने का प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने गये।

इस प्रकार [भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%A4%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BE_%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE_%E0%A5%A7%E0%A5%AF%E0%A5%AA%E0%A5%AD) के अनुसार 14/15 अगस्त, 1947 को [भारत](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4) तथा [पाकिस्तान](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%A8) नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान की बहुत-सी संस्थाओं का विकास संवैधानिक विकास के लम्बे समय में हुआ है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है संघीय व्यवस्था। यह [कांग्रेस](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B8) और [मुस्लिम लीग](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AE_%E0%A4%B2%E0%A5%80%E0%A4%97) द्वारा 1916 के [लखनऊ समझौते](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B2%E0%A4%96%E0%A4%A8%E0%A4%8A_%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%9D%E0%A5%8C%E0%A4%A4%E0%A4%BE) में स्वीकार की गयी थी। [साइमन कमीशन](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%AE%E0%A4%A8_%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%B6%E0%A4%A8) ने भी संघीय व्यवस्था पर बल दिया और 1935 के अधिनिमय ने संघीय व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें प्रांतों के अधिकार ब्रिटेन के क्राउन द्वारा प्राप्त हुए थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब तक राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता संघीय व्यवस्था के लिए वचनबद्ध हो चुके थे। संसदीय व्यवस्था, जो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों को परिभाषित करती है, भारत में अपरिचित नहीं थी। इस तरह भारतीय संविधान, संविधान निर्माताओं की बुद्धिमानी और सूक्ष्म दृष्टि और कालक्रम में विकसित संस्थाओं और कार्यविधियों का एक सम्मिश्रण है।

**भारतीय राज्य की प्रकृति**

आज़ादी के बाद भारत में राज्य सामाजिक, आर्थिक, परिवर्तन, ढांचागत विकास और भारतीय समाज के पुनर्निर्माण का इंजन बन गया| भारतीय संबिधान के लागू होने के साथ-साथ एक लोकतान्त्रिक, पंथ निरपेक्ष और लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप मूर्त होने लगा| मार्क रोबिन्सन और गार्डन व्हाइट का कहना है कि भारत में राज्य निर्माण की प्रक्रिया जटिल रही है और यह ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था, ब्रिटिश शासन परम्पराओं और स्वाधीनता के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन से प्रभावित रही है| इसके साथ-साथ भारतीय समाज की प्राचीन उच्च सभ्यता का भी प्रभाव रहा है| इसमें विभिन्न विचारधाराएँ, सांस्कृतिक विबिधतायें और प्राचीन मूल्य भी सम्मिलित हैं|

भारतीय संवैधानिक विकास के क्रम में यह उल्लेखनीय है कि लगभग पूरा संवैधानिक तंत्र ब्रिटिश औपनिवेशिक ढांचे पर आधारित है| भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान और शासन व्यवस्था का एक प्रमुख स्रोत रहा है| औपनिवेशिक संस्थाएं जैसे सेना, सामान्य कानून व्यवस्था और नौकरशाही बिना किसी ढांचागत या वैचारिक परिवर्तन के साथ यथावत अपना लिए गये| यहाँ तक कि औपनिवेशिक राज्य की नियामकीय व बाध्यकारी प्रकृति को भी नवीन राज्य प्रणाली में स्थान दिया गया|

इस प्रकार संविधान में सम्मिलित विधि का शासन, नागरिकता, संप्रभुता और लोकतंत्र की कार्यप्रणाली जैसे प्रावधान औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी परम्पराओ की संयुक्त देन कही जा सकती हैं| इसमें गांधीवादी चिंतन और भारत की प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था के तत्वों को प्रायः ख़ारिज कर दिया गया है| भारत उन चंद देशों में है जहाँ राजनीतिक क्रांति सामाजिक क्रांति की अनुगामी रही है| राजेश्वरी देशपांडे के शब्दों में स्वतंत्र भारत में राज्य से लोकतान्त्रिक और कल्याणकारी राज्य होने की अपेक्षा की गई| इन दो प्राथमिक लक्ष्य को ध्यान में रखकर संविधान में अध्याय चार के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है| साथ ही संविधान में राजनीतिक अधिकारों की समान गारंटी, अल्पसंख्यको के अधिकार, सामूहिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सकारात्मक विभेद आदि की व्यवस्था की गई है|

विकासात्मक राज्य

आज़ादी के आरंभिक दशकों में विकास के नेहरूवादी माडल से अर्थव्यवस्था संचालित हुई| जिसके अंतर्गत समाजवादी अवसंरचना को अपनाते हुए नियंत्रित अर्थव्यवस्था और सरकारी नीतियों के द्वारा जनकल्याण की योजनायें बनाई गई| इस दौरान जो नीतियां अपनाई गईं उसके आधार पर भारतीय राज्य को विकासवादी राज्य कहा गया| राज्य न सिर्फ अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता था बल्कि उसकी प्रगति और दिशा को भी तय करता था| अर्थव्यवस्था के जो हिस्से निजी क्षेत्र में थे, उन्हें भी तमाम नियम कानून लाइसेंस प्रणाली आदि के माध्यम से राज्य नियंत्रित करने की व्यवस्था थी| यह स्थिति इंदिरा गाँधी के प्रधानमंत्री रहते हुए भी कमोवेश रूप में जारी रही|

|  |
| --- |
|  |
| **भारतीय राज्य की विकासात्मक धारणा** |
|  |

अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का आधार पंच वर्षीय योजनाये थीं। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं। [जोसेफ स्टालिन](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A5%8B%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%AB_%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%A8) ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया। अधिकांश कम्युनिस्ट राज्यों और कई पूंजीवादी देशों ने बाद में उन्हें अपनाया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के बाद 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। पंचवर्षीय योजनाओ को [योजना आयोग](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4_%E0%A4%95%E0%A4%BE_%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%9C%E0%A4%A8%E0%A4%BE_%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97) (1951-2014) और [नीति आयोग](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF_%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97) (2015-2017) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता था। प्रधान मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष तथा आयोग के पास एक मनोनीत उपाध्यक्ष होता था, जिसका पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता था। सन 2014 में निर्वाचित [नरेंद्र मोदी](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0_%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%A6%E0%A5%80) के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजना आयोग के विघटन करके इसे [नीति आयोग](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%A4%E0%A4%BF_%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97) ("नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया") द्वारा प्रतिस्थापित किया| भारत की अब तक की पंचवर्षीय योजनाओं की प्राथमिकताएं सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि तत्कालीन राज्य प्रणाली और राजनीतिक दौर के विमर्श की और भी ध्यान आकृष्ट करती हैं| इसलिए भी इनके मूल बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक है--

**1 पहली पंचवर्षीय योजना (1951-1956)**

**2 दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1961)**

**3 तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-1966)**

**4 चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74)**

**5 पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-1978)**

**6 छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985)**

**7 सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990)**

**8 आठवीं पंचवर्षीय योजना(1992-97)**

**9 नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)**

**10 दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007)**

**11ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012)**

**12 बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017)**

**13 तेरहवीं पंचवर्षीय योजना (2017-2022)**

**पहली पंचवर्षीय योजना (1951-1956):** प्रथम प्रधानमंत्री [जवाहरलाल नेहरू](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%B2_%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A5%82) ने 8 दिसम्बर 1951 को भारत की संसद को पहली पाँच साल की योजना प्रस्तुत की। प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारतीय विकास के शुभारंभ में इसकी एक बड़ी भूमिका थी। इसने कृषि उत्पादन का पुरजोर समर्थन किया और देश के औद्योगीकरण का भी शुभारंभ किया। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक महान भूमिका के साथ-साथ एक बढ़ते निजी क्षेत्र के लिए विशेष प्रणाली का निर्माण किया। योजना मुख्य रूप से बांधों और सिंचाई में निवेश सहित कृषि प्रधान क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में भारत के विभाजन और तत्काल स्थिति ध्यान देने की जरूरत को सबसे मुश्किल माना गया था। यह योजना हैराल्ड़-डोमर मॉडल पर आधारित थी। राष्ट्रीय आय तेजी से जनसंख्या वृद्घि के कारण प्रति व्यक्ति आय से अधिक वृद्धि हुई है। भाखडा नांगल बांध और हीराकुंड बांध सहित कई सिंचाई परियोजनाएं इस अवधि के दौरान शुरू की गई थी। 1956 में योजना अवधि के अंत में पांच भारतीय प्रौद्योगिकी (आईआईटी) संस्थान को प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने धन का ख्याल रखा और सम्बन्धित क्षेत्र के लिए देश में उच्च शिक्षा को मजबूती से स्थापित किया गया था। पांच इस्पात संयंत्र, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में अस्तित्व में आये शुरू संविदा पर हस्ताक्षर किए गए। यह योजना हैराल्ड़-डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली योजना के लक्ष्य शरणार्थियों का पुनर्वास, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना था| इस योजना में सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया आरम्भ की गयी, जिससे राष्ट्रीय आय के लगातार बढ़ने का आश्वासन दिया जा सके। साथ ही योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गयी|

**दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-1961):** दूसरा पांच साल उद्योग पर ध्यान केंद्रित योजना है, विशेष रूप से भारी उद्योग पहले की योजना है जो मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान केंद्रित के विपरीत, औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास के लिए भारतीय सांख्यिकीविद् प्रशांत चन्द्र महलानोबिस द्वारा विकसित मॉडल महालनोबिस मॉडल (1953) का पालन किया गया। इसके अंतर्गत भारी उद्द्योगो को बढ़ावा पनबिजली और भारी परियोजनाओं को पांच स्टील मिलों जैसे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला आदि स्थानों पर स्थापित किए गए थे। कोयला उत्पादन बढ़ा दिया गया था। रेलवे लाइनों को उत्तर पूर्व में जोड़ा गया था। 1948 में [होमी जहांगीर भाभा](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B9%E0%A5%8B%E0%A4%AE%E0%A5%80_%E0%A4%9C%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%80%E0%A4%B0_%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%AD%E0%A4%BE) के साथ [परमाणु ऊर्जा आयोग](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A5%81_%E0%A4%8A%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9C%E0%A4%BE_%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97) के पहले अध्यक्ष के रूप में गठन किया गया था। sw[टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9F%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A4%BE_%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%9F_%E0%A4%91%E0%A4%AB_%E0%A4%AB%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A4%B2_%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%9A) के एक अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। 1957 में एक प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसका उद्देश्य प्रतिभाशाली युवा छात्रों की खोज करनी थी एवं कार्य क्षेत्र परमाणु ऊर्जा से जुड़े थे। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत आवंटित कुल राशि 4800 करोड़ रुपए थी। यह राशि खनन, उद्योग समुदाय, कृषि विकास बिजली, सिंचाई, सामाजिक सेवाओं संचार और परिवहन आदि क्षेत्रों के बीच आवंटित की गई थी| यह योजना भौतिकवादी योजना के नाम से भी जानी जाती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य औद्योगिक उन्नति को बढ़ावा देना था, विशेष रूप से भारी उद्योग को प्रोत्साहित किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में महलानोबिस मॉडल का पालन किया। उत्पादक क्षेत्रों में लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक विकास को अधिकतम करने का प्रयास किया।

**तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-1966):** तीसरी योजना के अंतर्गत कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया, लेकिन 1962 के भारत-चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया और रक्षा उद्योग की ओर ध्यान केन्द्रित कर दिया। 1965-1966 में भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ| बांधों के निर्माण को जारी रखा गया। कई सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी बनाये गये। पंजाब में गेहूं का बहुतायत उत्पादन शुरू किया गया। कई ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल शुरू किए गए। इसके लिए जमीनी स्तर पर लोकतंत्र लाने के प्रयास में पंचायत चुनाव शुरू कर दिये गये, और राज्यों में और अधिक विकास से संबंधित जिम्मेदारियां दिए गए थे। राज्य बिजली बोर्डों और राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों का गठन किया गया। राज्य, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए जिम्मेदार किए गए थे। यह योजना जॉन सैण्डी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी । इस योजना के बाद 1967-1969 तक कोई नई योजना लागू नहीं की गयी। इस समयांतराल को अनवरत योजना (Plan Holiday) कहा गया। तीसरी योजना के मूल उद्देश्य कृषि व उद्योग दोनों के विकास को लगभग समान महत्व देना था। इस योजना ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की साथ ही बुनियादी उद्योगों के विकास पर भी पर्याप्त बल दिया|

**चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-1974**): इस समय [इंदिरा गांधी](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A4%BE_%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A5%80) प्रधानमंत्री थीं। इंदिरा गांधी सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया और [हरित क्रांति](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B9%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%A4_%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A4%E0%A4%BF) से कृषि उन्नत हुई। सन 1971 बांग्लादेश मुक्ति के लिए भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ। 1971 चुनाव के समय इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ" का नारा दिया। औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित फंड युद्ध के लिए भेज दिया। भारत ने 1974 में बंगाल की खाड़ी में अमेरिका के सातवें बेड़े की तैनाती के जवाब में भूमिगत परमाणु परीक्षण एवं प्रदर्शन किया। चौथी योजना अशोक रूद्र व ए0एस0 मान्ने मॉडल पर आधारित थी । इस योजना के मूल उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा

आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति था।

**पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-1978):** [तनाव](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A4%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B5) रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय पर रखी गई थी। योजना में कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। 1978 में नव निर्वाचित [मोरारजी देसाई](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%9C%E0%A5%80_%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%88) सरकार ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया। यह योजना डी0पी0 धर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश गरीबी उन्मूलन था|

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985): छठी योजना भी आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के रूप में चिह्नित हैं। इस अवधि में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। यह नेहरूवादी योजना का अंत थी| यह योजना दो बार तैयार की गई । जनता पार्टी द्वारा 1978-1983 की अवधि हेतु “अनवरत योजना" बनाई गई, किन्तु 1980 में बनी इंदिरा गाँधी की नई सरकार ने इस योजना को समाप्त कर **नई छठी पंचवर्षीय योजना (1980-1985)** को लांच की। अब जनता पार्टी के प्रतिमान को हटाकर पुन: नेहरू प्रतिमान को अपनाया गया। इसमें इस बिंदु पर जोर दिया गया कि अर्थव्यवस्था का विस्तार करके ही समस्या का समाधान किया जा सकता है ।

यही कारण है कि **छठी पंचवर्षीय योजना को छठी योजनाएं** भी कहा जाता है। जनसंख्या को रोकने के क्रम में परिवार नियोजन भी विस्तार किया गया था। आधुनिकीरण शब्द का पहली बार प्रयोग इसी योजना में हुआ और रोलिंग प्लान की अवधारणा अपने गई। सर्वप्रथम गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक " एशियन ड्रामा" में इसका उल्लेख किया था| इसे भारत मे लागु करने का श्रेय प्रो० डी0टी0 लकडवाला को दिया जाता है। छठी योजना का मुख्य उद्देश्य अत्यंत विस्तृत था जिनमें कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र में रोज़गार का विस्तार करना, जन- उपभोग की वस्तुएँ तैयार करने वाले कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देना और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा निम्नतम आय वर्गों की आय बढ़ाना|

**सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-1990):** सातवीं योजना कांग्रेस पार्टी के सत्ता में वापसी के रूप में चिह्नित थी| इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक उत्पादकता बढाना, अनाज के उत्पादन और रोजगार के अवसर पैदा कर क्षेत्रों में विकास की स्थापना करना था| सातवीं योजना समाजवाद और बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयासरत थी। 15 साल की दीर्घकालीन योजना अपनाकर सातवीं योजना के अंतर्गत वर्ष 2000 तक आत्मनिर्भर विकास की पूर्वापेक्षाएं प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना के उद्देश्यों में गरीबी कम करना, उत्पादन बढ़ाना, रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को अपनाना प्रमुख था|

**आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997):** सन 1989-91 भारत में आर्थिक अस्थिरता की अवधि थी, इसलिए कोई पांच वर्ष की योजना को लागू नहीं किया गया था। 1990 और 1992 के बीच वार्षिक योजनाओं को ही अपनाया गया। 1991 में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा| भारत के बारहवें प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख पी0वी0 नरसिंहा राव ने महत्वपूर्ण बदलाव का फैसला किया। उस समय के वित्तमंत्री [डॉ॰ मनमोहन सिंह](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%A8_%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9) ने मुक्त बाजार सुधारों के जरिये लगभग दिवालिया हुए राष्ट्र को पुनर्जीवित किया। यह भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत थी। उद्योगों का आधुनिकीकरण आठवीं योजना के एक प्रमुख आकर्षण था। इस योजना के तहत, भारतीय अर्थव्यवस्था को क्रमिक रूप से खोलने का निर्णय लिया| जिससे तेजी से बढ़ते घाटे को कम किया गया| इसे राव-मनमोहन आर्थिक विकास के मॉडल के रूप में जाना गया| इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश, गरीबी में कमी, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे, संस्थागत निर्माण, पर्यटन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, पंचायत राज, गैर सरकारी संगठन, विकेन्द्रीकरण और लोगों की भागीदारी को मजबूत बनाने को प्राथमिकता दी गई। यह योजना अब तक की सबसे सफल योजना कही जाती है। 15 से 35 वर्ष की आयु समूह के लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शताब्दी के अतं तक पूर्ण रोजगार प्राप्त करना, स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराना तथा मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना आठवी योजना के प्रमुख लक्ष्य थे|

**नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002**): नौवीं पंचवर्षीय योजना भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती की पृष्ठभूमि में तैयार की गई थी। नौवीं योजना के मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता, ग्रामीण विकास पर जोर देने के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने, गरीबी में कमी, कीमतों को स्थिर करने, अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी लाने, खाद्य और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना, सभी के लिए शिक्षा जैसी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बढ़ावा देना था| इसके अतिरिक्त स्वच्छ पीने के पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, ऊर्जा, बढ़ती जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने, महिला सशक्तिकरण तथा निजी निवेश में वृद्धि के लिए एक उदार बाजार बनाने पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया|

**दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007):** इस योजना के लक्ष्यों के प्रमुख रूप से जी. डी. पी. में वृद्धि दर 8 प्रतिशत पहुँचाना, निर्धनता अनुपात को वर्ष 2007 तक कम करके 20 प्रतिशत लाना, वर्ष 2007 तक प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना तथा वर्ष 2001 और 2011 के बीच जनसंख्या की दसवर्षीय वृद्धि दर को 16.2 प्रतिशत तक कम करना था।

**ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012):** वर्तमान में भारत में ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना की समयावधि 2007 से 2012 तक है। उस समय भारत के प्रधानमत्री [मनमोहन सिंह](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%A8%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%B9%E0%A4%A8_%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%82%E0%A4%B9) थे। ग्यारहवी औद्योगिक पंचवर्षीय योजना उद्देश्य 9% वार्षिक विकास दर के लक्ष्य प्राप्त करना, कृषि में 4% उद्योग एवं सेवाओं में 9-11% की प्रतिवर्ष वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करना, बचत की दर सकल घरेलू उत्पाद के 34.8% तथा निवेश की दर 36.7% के लक्ष्य को प्राप्त करना। निर्धनता अनुपात में 10% बिन्दु की कमी करना।

**बारहवी पंचवर्षीय योजना (2012-2017):** योजना आयोग ने वर्ष 01 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलने वाली 1 सितंबर, 2008 में शुरू हुए आर्थिक संकट का असर इस वित्त वर्ष में बड़े पैमाने पर देखा गया है। यही वजह थी कि इस दौरान आर्थिक विकास दर घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई थी। जबकि इससे पहले के तीन वित्त वर्षो में अर्थव्यवस्था में नौ फीसदी से ज्यादा की दर से आर्थिक विकास हुआ था। बीते वित्त वर्ष 2009-10 में अर्थव्यवस्था में हुए सुधार से आर्थिक विकास दर को थोड़ा बल मिला और यह 7.4 फीसदी तक पहुंच गई। अब सरकार ने चालू वित्त वर्ष में इसके बढ़कर 8.5 प्रतिशत तक होने का अनुमान लगाया है। बारहवी पंचवर्षीय योजना को लेकर हुई पहली बैठक के बाद योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हमें 12वीं योजना में 10 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल करने की बात कही है। विनिर्माण क्षेत्र के लिए दस प्रतिशत का लक्ष्य है। वैश्विक आर्थिक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। इसी के चलते 11 पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर की रफ्तार को 9 प्रतिशत से घटाकर 8.1 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया था|

**तेरहवीं पंचवर्षीय योजना (2017-2022)**: भारत की तेरहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2017-2022 है। आर्थिक विकास को बनाए रखना, औद्योगिक संरचना को अनुकूलित करना, आर्थिक विकास के पैटर्न को बदलना, नवाचार से प्रेरित विकास को बढ़ावा देना, संस्थागत तंत्र में सुधार करना, कृषि आधुनिकीकरण में तेजी लाने, समन्वित विकास को बढ़ावा देना, पारिस्थितिकीय निर्माण को मजबूत करना, सुरक्षा और सुधार करना योजना के 10 उद्देश्यों में शामिल है। लोगों की आजीविका, और गरीब गरीब विकास को बढ़ावा देना अन्य उद्देश है| दक्षता निर्माण के बजट के तहत संसाधन, पुस्तकें, क्लास रूम आदि को दुरुस्त किया जाएगा। रेमिडियल क्लासेज के तहत एससी, एसटी व ओबीसी के कमजोर विद्यार्थियों को अलग से पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा, सिविल सर्विसेज व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को व्यवस्था दी जाएगी।

**लोक कल्याणकारी राज्य**

भारत का संविधान भारत के नागरिकों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। राज्य के सारे कार्यकलाप और नीतियां नागरिकों के लिए मैत्रीपूर्ण और सभी समभावपूर्ण होना संवैधानिक बाध्यता है| वैश्वीकरण ने राजकाज में बाजार की ताकत के चलते राजकाज की नीतियों को वैश्विक बाजार अभिमुख बना दिया है। इस कारण लोकाभिमुख और कल्याणकारी कार्यक्रमों को घाटे का काम मानते हुए गौण रखा गया| लोक कल्याणकारी कार्यों को घाटे की अर्थव्यवस्था का कारक मान लिया गया। बहुदलीय लोकतंत्र के बाद भी राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के कमजोर होने को लेकर एक भी राजनीतिक दल ने इसे मुद्दा नहीं बनाया। यह भारतीय राजनीति के मूल स्वरूप और दिशा पर ही गहरा सवाल है।

देश के सभी राजनीतिक दलों को जीवन, सुरक्षा और रहने, खाने, आजीविका के अवसरों को देश की राजनीति का मूलभूत कार्यक्रम मानते हुए लोगों को आत्मनिर्भर बनाने को राजनीति का मुख्य एजेंडा बनाना होगा। कोई नागरिक सामान्यत: और आपातकालीन स्थिति में भी अपने आपको अकेला, असहाय और असुरक्षित न समझे। यह राज्य, समाज और सभी राजनीतिक दलों सहित सभी की सामूहिक जवाबदारी है।

हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीने के मूल अधिकार का प्रावधान किया है। भारत की बड़ी जनसंख्या के चलते यह कठिन चुनौती है। इसलिए जनसँख्या नियंत्रण कार्यक्रम को अविलम्ब अपनाने की जरुरत है| मानव संसाधन की अनंत शक्ति को पहचानना होगा| वैश्वीकरण की चकाचौंधपूर्ण राह ने नागरिकों को महज विश्व बाजार का अदना उपभोक्ता बना दिया| प्रत्येक नागरिक को स्वयं को भारत का राष्ट्र निर्माता समझना होगा| सबकी प्रतिबद्धता राष्ट्र के प्रति हो इसके लिए संविधान में उल्लिखित सामान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए| भारत राष्ट्र निर्माण के तमाम कार्य जो शुरू के 20-25 वर्षो में हो जाने चाहिए थे, जिनकी मजबूत नींव पर सशक्त देश का निर्माण होना था वे मूलभूत कार्य ही अभी शेष हैं| अपने उच्च राष्ट्रीय प्रतिबद्धता और नागरिक चरित्र के बल पर ही कई राष्ट्रों ने भारत के साथ ही अपनी विकास यात्रा आरंभ की और वे हमसे काई गुना आगे हैं|

अगस्त 2020 में प्रस्तुत नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन की नई किरण जगाता है| इसके अंतर्गत परम्परागत बोझिल 10+2 व्यवस्था के स्थान पर नवाचारों से युक्त 5+3+3+4 व्यवस्था लागू की गई है| अब तक प्रतिभावान शिक्षित युवा नागरिकों की मानव संपदा देश की तरक्की में योगदान नहीं दे पा रही थी। आत्मनिर्भर और कल्याणकारी दृष्टि को अपनाए बिना मौजूदा भारत के सामने खड़ीं चुनौतियों का समाधान नहीं हो सकता।

**अवपीड़क/चिंताजनक (Coersive)**

स्वतंत्रता के उपरांत के प्रथम दो दशक तक भारत में राजनीतिक स्थायित्व का वातावरण था जो भावी भारत की नींव रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था| केंद्र और राज्यों के स्टार पर कांग्रेस की स्वीकार्यता ने राजनीतिक एकमतता/एकरूपता स्थापित की थी| भारतीय राज्य और कांग्रेस के लिए कही से कोई चुनौती नहीं थी| संसद में भी सशक्त विपक्ष का अभाव था| महात्मा गाँधी के द्वारा अग्रसारित और संरक्षित नेहरू की आभामंडल ने पूरी व्यवस्था को आच्छादित कर रखा था| सोवियत संघ के प्रभाव में बनाये गए नेहरू माडल को सत्तर के दशक में चुनौती मिलने लगी थी| 1967 में हुए 8 राज्यों के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस को हर का मुह देखना पड़ा और 1969 में कांग्रेस में फुट पड़ गई| कांग्रेस पर इंदिरा गाँधी के गुट इन्डिकेट का आधिपत्य हो गया, जिसने 1975 में आपातकाल की पृष्ठभूमि तैयार की| आर्थिक नीतियों पर भी समाजवादी झुकाव बढ़ता गया| आधिपत्यवादी राजनीति ने राज्यों में शासकीय बाधा (Crisis of Governability) पैदा की|

**उदारीकरण और वैश्वीकरण**

1990-91 में विकास की नई इबारत लिखी जाने लगी| यद्दपि औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात-निर्यात नीति, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में ही आरंभ की हो गए थे किन्तु 1991 में प्रारंभ की गई सुधारवादी नीतियाँ कहीं अधिक व्यापक थीं, जिसके तहत अनेक क्षेत्रों में उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई। अल्कोहल,सिगरेट,जोखिम भरे रसायनों,औद्योगिक विस्फोटकों इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन तथा औषधि-भेषज, इन छ:उत्पादों को छोड़ शेष उत्पादों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया। प्रतिरक्षा उपकरण,परमाणु ऊर्जा उत्पाद और रेल परिवहन सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित किए गए। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अनेक वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई हैं।

उदारीकरण और वैश्वीकरण के विकास के मॉडल ने पूरी दुनिया को वैश्विक ग्राम का रूप प्रदान तो किया है, किन्तु मानवीय मूल्य, संवेदनाएं, सामाजिक सरोकार और प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति हमारा व्यवहार मित्रवत नहीं रह गया है। प्रकृति का दोहन खूब हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के निरंतर एवं असीमित दोहन ने दुनियाभर में पर्यावरण के लिए चिंताजनक स्थिति निर्मित कर दी है। अपने लाभ के लिए मनुष्य द्वारा विकास के नाम पर कई ऐसे आविष्कार भी कर दिए गए जो जल, जंगल, जमीन में जहर घोल रहे हैं, जानवरों की मौत का कारण बन रहे है।

पर्यावरण संकट से उत्पन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली जन-धन आदि की हानि भी विकास की अंधाधुंध रफ्तार को नहीं रोक पाई है। उपजाऊ जमीन, घने जंगल, अनेक प्रकार के जल स्त्रोत सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन विकास की सीमा रेखा को खतरा साबित हो चुके विकास की सीमा रेखा को बहस से सर्वसम्मति तक की प्रक्रिया तय नहीं हो पाई हैं। विकास की कोई सीमा रेखा तय न होने का नतीजा यह है कि आज अधिकांश जल स्त्रोत प्रदूषित होकर समाप्ति की ओर जा रहे हैं। जल संकट साल-दर-साल गहराता जा रहा है। हरी-भरी जमीन जलविहीन होकर रेगिस्तान में बदलने की स्थिति है। हवा में बढ़ता जहरीला धुआं बढ़ते-बढ़ते ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाने की स्थिति निर्मित कर चुका है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक आंकड़े के मुताबिक, शहरी भारत में लगभग 9.7 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी मयस्सर नहीं होता है। ग्रामीण इलाकों में 70 फीसदी लोग अब भी प्रदूषित पानी पीने को ही मजबूर हैं। पीने के पानी की कमी के चलते देश में हर साल लाखों लोग पेट और संक्रमण की विभिन्न बीमारियों की चपेट में आकर दम तोड़ देते हैं। अब जब 2028 तक आबादी के मामले में चीन को पछाड़ कर देश के पहले स्थान पर पहुंचने की बात कही जा रही है| यह समस्या और भयावह हो सकती है। एक और तो गांवों में साफ पानी नहीं मिलता तो दूसरी ओर, महानगरों में वितरण की कमियों के चलते रोजाना लाखों गैलन साफ पानी बर्बाद हो जाता है।

यह कहा जाता है कि भारत नदियों का देश है| लेकिन विडंबना यह है कि 70 प्रतिशत नदियां जानलेवा स्तर तक प्रदूषित हैं। भारत की कई नदियां जैविक लिहाज से मर चुकी हैं। इसका असर पर्यावरण के साथ स्थानीय लोगों पर भी पड़ रहा है। कई नदियों का अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। देशभर में प्रदूषण की चपेट में करीब 150 नदियों में गंगा और यमुना नदी दुनिया की दस गंदी नदियों में भी शुमार हैं।

देश के 27 राज्यों में 150 नदियां ऐसी हैं, जो प्रदूषण की चपेट में हैं| इनमें सबसे ज्यादा 28 नदियां महाराष्ट में हैं| गुजरात की 19 नदियों का भी प्रदूषण के कारण हाल बुरा है। राज्यवार प्रदूषित नदियों की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश तीसरे पायदान है, जहां 12 प्रदूषित नदियां समस्या बनी हुई हैं। कर्नाटक में 11 तथा मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 9-9 नदियां ऐसी हैं, जो प्रदूषण की चपेट में हैं। वहीं राजस्थान की पांच और झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की भी तीन-तीन नदियां प्रदूषित नदियों की सूची में शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से गुजरने वाली एकमात्र यमुना नदी का प्रदूषण तो दशकों से सुर्खिंयों में बना हुआ है।

भारत के वन क्षेत्र पर स्थिति रिपोर्ट के अनुसार जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना में जंगल तेजी से घटे हैं। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में देश में केवल 12 बार सूखा पड़ा अर्थात 16 वर्ष में एक बार सूखा पड़ा। लेकिन 1968 के बाद से सूखे की तादाद में वृद्धि आई। जंगलों की अंधाधुंध कटाई ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है।

धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते प्रकृति में अनेक नुकसानदेह परिवर्तन हो रहे हैं। बढ़ती गर्मी के लिये कहीं न कहीं मानव जाति ही कसूरवार है। विकास की दौड़ में सरपट भागते इंसानों ने कार्बन उत्सर्जन, पेड़ों की कटाई, प्रकृति से खिलवाड़ करते वैश्विक तापमान में जो बढ़ोतरी का ही दुष्परिणाम प्रतिवर्ष बढ़ती हुई गर्मी एवं तापमान के रूप में सामने आ रहा है। पिछले दो दशकों में देश में हर वर्ष औसतन तापमान में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की जा रही है।

प्रतिवर्ष तापमान बढ़ने की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे हालात में यह जरूरी हो गया है कि विकास को इस प्रकार सीमित व व्यवस्थित बनाया जाए कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम रह सके। विकास की प्रक्रिया को इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि उससे प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव न हो। यदि विकास के साथ-साथ पर्यावरण की भी गंभीरता से चिंता की जाए तो बिगड़ती प्राकृतिक स्थिति पर कुछ रोक लगाना संभव है। प्राकृतिक संसाधन इंसान की आवश्यकतों की पूर्ति तो कर सकता है, किन्तु उसकी लालच की पूर्ति नहीं कर सकता।

भारत आजादी के बाद से ही [आतंकवाद](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%86%E0%A4%A4%E0%A4%82%E0%A4%95%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6) का शिकार होता रहा है| जम्मू [कश्मीर](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%B0), [नागालैंड](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%88%E0%A4%82%E0%A4%A1), [पंजाब](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%AC_(%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4)), [असम](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A4%AE), [बिहार](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0) आदि विशेषरूप से इससे प्रभावित रहे हैं। आतंकवाद ने भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि परिस्थितियों को प्रभावित किया है। [जम्मू-कश्मीर](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%9C%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%82-%E0%A4%95%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A5%80%E0%A4%B0), [मुंबई](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%88), [मध्य भारत](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF_%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4) ([नक्सलवाद](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B8%E0%A4%B2%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%A6)) और उत्तर पूर्व के सात राज्य लम्बे समय से अलग अलग तरह के आतंकवाद से त्रस्त रहे हैं। देश के लगभग 232 जिले विभिन्न विद्रोही और आतंकवादी गतिविधियों से पीड़ित रहे हैं। अगस्त 2008 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम.के. नारायणन ने कहा था कि देश में 800 से अधिक आतंकवादी गुट सक्रिय हैं|

भारत में विगत दशकों में अनेक बड़े आतंकवादी हमले हुए है| 14 फरवरी 2019 को जम्मू से कश्मीर जा रहे CRPF काफिले पर पुलवामा के पास फियादीन हमला किया गया जिसमें CRPF के 44 जवान शहीद हुए जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित जेहादी आंतकवादी संगठन जैश-ए-महमद ने ली| 13 जून 2011 को मुंबई में तीन स्थानों पर आतंकी बम विस्फोट हुआ जिसमे लगभग 50 लोगों की मौत हुई तथा सैकड़ों घायल हुए| फरवरी, 2010 में महाराष्ट्र के पुणे शहर की मशहूर जर्मन बेकरी को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। इसमें 16 लोग मारे गए, जिनमें से कई विदेशी भी थे। एक बार फिर इंडियन मुजाहिदीन को जिम्मेदार ठहराया गया। 26 नवम्बर 2008 को मुंबई में आतंकवादियों ने तीन दिनों तक दहशत फैलाई| पांचसितारा होटलों और रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाकों में 166 लोग मारे गए। भारत के ब्लैक कैट कमांडो की कार्रवाई में पाकिस्तानी नागरिक आमिर अजमल कसाब को छोड़ कर सारे आतंकवादी मारे गए। हमले की साजिश पाकिस्तान में रचे जाने की पुष्टि हुई। 30 अक्टूबर 2008 को असम में 18 आतंकवादी हमलों में 77 लोग मारे गए और सौ से ज्यादा लोग घायल हो गए। 21 अक्टूबर 2008 को इंफाल, मणिपुर पुलिस कमांडो परिसर के नजदीक शक्तिशाली विस्फोट में 17 लोग मारे गए। 29 सितंबर 2008 को मालेगाँव (महाराष्ट्र) में भीड़भाड़ वाले बाजार में मोटरसाइकिल में रखे विस्फोटकों में विस्फोट होने से पाँच लोगों की मौत। 29 सितंबर 2008 मोदासा (गुजरात) में एक मस्जिद के नजदीक कम तीव्रता वाले बम विस्फोट में एक की मौत, कई घायल। 27 सितंबर 2008 में महरौली, नई दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजार में बम फेंकने से तीन लोगों की मौत हो गई। 13 सितंबर 2008 नई दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में छह बम विस्फोटों में 26 लोगों की मौत हो गई। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में दो घंटे के भीतर 20 बम विस्फोटों में 57 लोगों की मौत हो गई। 25 जुलाई 2008 को बेंगलुरु में बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हुई। 13 मई 2008 को जयपुर में सिलसिलेवार बम विस्फोट में 68 लोगों की मौत हुई। जनवरी 2008 में रामपुर में सीआरपीएफ शिविर पर आतंकवादी हमले में आठ की मौत हुई। अक्टूबर 2007 में अजमेर, राजस्थान के अजमेर शरीफ में रमजान के समय दरगाह के अंदर विस्फोट में दो की मौत हुई। अगस्त 2007 में हैदराबाद में आतंकवादी हमले में 30 की मौत हो गई और 60 घायल हुए। मई 2007 में हैदराबाद की मक्का मस्जिद में विस्फोट में 11 की मौत हुई। फरवरी 2007 में भारत से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में दो बम विस्फोटों में कम से कम 66 यात्री जल मरे, जिनमें अधिकतर पाकिस्तानी थे। सितंबर 2006 में [मालेगाँव](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%81%E0%A4%B5) के एक मस्जिद में दोहरे बम विस्फोट में 30 लोगों की मौत हुई और सौ लोग घायल हो गए थे| जुलाई 2006 में [मुंबई](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%AC%E0%A4%88) की ट्रेनों में सात बम विस्फोटों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 700 घायल हुए। मार्च 2006 में [वाराणसी](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%B8%E0%A5%80) उत्तर प्रदेश के संकट मोचन मंदिर और रेलवे स्टेशन पर दोहरे बम विस्फोट में 20 लोगों की मौत। अक्टूबर 2005 में [दीवाली](https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%A6%E0%A5%80%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80) से एक दिन पहले नई दिल्ली के व्यस्त बाजारों में तीन बम विस्फोटों में 62 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हुए|

**मूल्यांकन :**

तमाम प्रतिरोधों और चुनौतियों के बाद भी यह कहा जा सकता है कि भारत ने लोकतान्त्रिक परम्पराओ में अपनी प्रतिबद्धताओं को सिर्फ बनाये ही नहीं रखा है बल्कि देश में लोकतान्त्रिक परम्पराएँ निरंतर मजबूत होती गई हैं| आजादी के समय भारतीय लोकतंत्र की जीवन को लेकर व्यक्त की गई तमाम आशंकाओ को समय के साथ साथ भारतीय राज्य ने गलत साबित किया है| यह भारत में लोकतान्त्रिक संस्थाओं की सुदृढ़ता और लोकतान्त्रिक विकेंद्रीकरण के चलते संभव हुआ है| पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक के नियमित चुनाव और उनकी शक्तियों में बढोत्तरी ने लोगों में लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता बधाई है| इससे देश के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत राज्य के प्रति सम्मान बढ़ा है|

दूसरे, भारतीय राज्य के स्वरुप में वैचारिक, लोक कल्याणकारी, विकासवादी और अवपीडक सभी आयाम परिलक्षित हुए हैं| आज़ादी के बाद से सत्तर के दशक तक प्रचलित राज्य प्रेरित विकासवाद के नेहरूवादी दृष्टि को अस्सी के दशक में बाजार प्रेरित विकासवाद ने प्रतिस्थापित किया| वहीँ नेहरु-इंदिरा-मनमोहन की पंथनिरपेक्षता पर नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवादी पंथनिरपेक्षता को प्रमुखता मिली | भारतीय राज्य की राष्ट्रवादी स्वरुप के प्रभाव में धारा 370 को हटाकर कश्मीर की समस्या का बेहतर समाधान खोजा गया तो पाकिस्तान और चीन को समुचित व् बहुप्रतीक्षित जवाब दिया जा रहा है | राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ तो ट्रिपल तलक की कुपरम्परा पर भी कुठाराघात किया गया| आत्मनिर्भर, स्वच्छ और सशक्त भारत बनाने की पहल हुई तो भारत के युवाओं की प्रतिभा निखारने के लिए नै शिक्षा नीति भी तैयार हुई|